जाकर पत्रावली ...
22.3.19 को पेश हो।

22.3.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं.08 बैंक की ओर से वकील राजूराम जाखड़ उपस्थित। प्रार्थना-पत्र आर्डर 07 नियम 11 व धारा 151 CPC का जवाब वकील वादी देना नहीं चाहते इसलिये प्रार्थना-पत्र की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस है कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिनमें वादी का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसमें वादी अपना हिस्सा कायम करता है इसलिये वादी का हक व हिस्सा बन्धक व रहन रखने का प्रतिवादी सं.01 ता 05 को कोई अधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 08 बैंक ने इसका विरोध किया व अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि का वादी व प्रतिवादी सं.01 ता 05 मालिक नहीं है तथा वादगत भूमि का बैंक मालिक है जिनके पक्ष में रहन है। तथा प्रतिवादी सं.01 ता 05 ने बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई इसलिये श्रीमान के समक्ष रोड़ा एक्ट के तहत बैंक ने कार्यवाही प्रस्तुत कर दी। जिसमें श्रीमान जी के आदेश से वादगत भूमि की कुर्की व नीलामी हो चुकी है तथा बोलीदाता प्रतिवादी सं. 11 ने सम्पूर्ण नीलामी की राशि 32,55,000/- रुपये जमा भी करवा दिये है। वकील बैंक की बहस है कि वादी का दावा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर चलने योग्य नहीं है तथा श्रीमान को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। क्योंकि रोड़ा एक्ट की धारा 28(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वित्तीय सहायता

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राप्त करने हेतु एक संयुक्त हिन्दू परिवार के मैनेजर/ मुखिया द्वारा किया गया बन्धक परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होता है तथा राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन्स (रिमूवल डिफिकल्टीज) एक्ट 1974 की धारा 11, 12, 13, व 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा पारित कुर्की व निलामी का आदेश सिविल न्यायालय की एक डिक्री का होना समझा जायेगा इसलिये सिविल न्यायालय की डिक्री की पालना पर उपरवाउ अधिकारी द्वारा रोक व सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिये वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है तथा श्रीमान जी के न्यायालय को इस दावा की सुनवाई का अधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 8 ने इस सम्बन्ध में रुलिंग कानून पेश की जो इस प्रकार है:- (1) फतेहचन्द महात्मा बनाम बैंक ऑफ राजस्थान 1994 RRD P. No. 242 (L.B) (2) हरविन्द कोर V/S स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया आदि 2014(1) RRT P. No. 444. (3) RODA एक्ट की धारा 28(1) 11, 12, 13, 14 की फोटो प्रतियाँ पेश की। 2014(1) DNJ P. No. 438 (D.B.)(H.C) वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 08 की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी सं. 08 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व कानून का ध्यानपूर्वक, अवलोकन मनन किया गया। वकील वादी का दावा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर चलने योग्य नहीं है क्योंकि RODA एक्ट की धारा	

अपर ... न्यायाधीश ... अधिकारी कोटा/बांकानेर

28(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि परिवार के मुखिया द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु रहन रखी गई भूमि परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होगी है तथा धारा 13 व 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है। कुर्की व नीलामी का आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री का होना समझा जायेगा। इस लिए इस न्यायालय को वादी का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 08 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस बात की ताईद करते है तथा इस प्रकरण में चस्पा होते है। लिहाजा प्रतिवादी सं. 08 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 07 नियम 11 व धारा 151 CPC स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)